

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)
संशोधित आदेश

क्रमांक/५९३/अति.जि.दण्डा./2020

दुर्ग, दिनांक 21 सितम्बर, 2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 591/अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 के व्यारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 24 सितम्बर, 2020 की प्रातः 5:00 बजे तक लागू रहेगा । तत्पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा—144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपेडेमिक डिसीज़ेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं डॉ० सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :-

1. पूर्व प्रसारित प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक 591/अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 को अधिकृत करते हुए दिनांक 24 सितम्बर, 2020 की प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 30 सितम्बर, 2020 की रात्रि 12:00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा—144 सम्पूर्ण जिले में लागू की जाती है तथा दुर्ग जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है ।
2. उपरोक्त दर्शित अवधि में दुर्ग जिले की सभी सीमाएँ धूर्णतः सील रहेंगी ।
3. जिले में स्थित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय/निजी कार्यालय बंद रहेंगे । तथापि टेलीकॉम एवं रेलवे संचालन व रख—रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग—अनलोडिंग का कार्य एडमिशन हेतु इंजीनियरिंग कॉलेज, परीक्षा केन्द्र एवं अस्पताल पूर्ववत् संचालित रहेंगे ।
4. यह आदेश कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उंप पुलिस अधीक्षक (शहन/ग्रामीण) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील एवं थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा । इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिकमा सेवायें, जिसमें सफाई सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजलन इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाएँ । इसके अतिरिक्त कोविड-19 की रोकथाम हेतु ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी/अधिकारी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा । इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
5. उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मरीज़ एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलवरी को प्राथमिकता देंगे ।
6. पैट्रोल पम्प संचालाकों द्वारा निर्धारित समयानुसार केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एल.पी.जी. प्रयुक्त वाहन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एल.पी.जी. प्रयुक्त वाहन एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर पर हॉकर, दुध—वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने हॉकर, दुध—वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल.प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

PA2col.



- 7 पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशु चारा देने हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति रहेगी ।
- 8 निर्धारित समयानुसार एल.पी.जी. गैस सिलेंडर की एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या ऑन लाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डर की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे ।
- 9 औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन एवं निर्माण कार्य की अनुमति रहेगी ।
- 10 उक्त अधिकारी के दौरान जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी ।
- 11 जिले के अन्तर्गत स्थित समस्त बैंक प्रातः 10:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक संचालित होंगी ।
- 12 अपरिहार्य परिस्थितियों में दुर्ग जिले से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा । तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन की दशा में उनका कॉल लेटर तथा रेलवे/टेलीकॉम संचालक एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा । मेडिकल दस्तावेज या अधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर अस्पताल/पैथालॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी ।
- 13 आपात कालीन स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में झाईवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी । निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
- 14 मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टैंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे ।
- 15 दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 बजे से संध्या 7:00 बजे तक होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे । केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टैंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी ।
- 16 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, दुर्ग में भी 24 घंटे सेवा हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0788-2210773, 2210774, 2210775, 2210778 है । साथ ही 108 की सेवायें भी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी ।
- 17 महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके सन्दर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26 / 2020 / 17-1 दिनांक 13.3.2020 के सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है ।
- 18 यदि किसी भी व्यावसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिये सील कर दिया जायेगा ।

- 19 उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।
- 20 यह आदेश सम्पूर्ण दुर्ग जिले के लिये दिनांक 30 सितम्बर 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान पर भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे ।
- 21 आज दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया गया ।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।

21/09/2020
(डॉ० सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
कलेक्टरशास्त्रियाधिकारी,
दृग्ग